Shaikshik Parisamvad (An International Journal of Education) | **66**
SPIJE , ISSN 2231 – 2323 (Print), 2231 – 2404 (Online)
Vol.3, No.2, July 2013, pp 66 - 72.

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

(चिरईगाँव विकास खण्ड, वाराणसी के विशेष सन्दर्भ में)

(विजेन्द्र सिंह, एम0एड0 छात्र, शिक्षा संकाय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, यू.पी., भारत)

Abstract

The main purpose of present research paper was study to attitude of primary teachers in the context of 'Right to Education Act 2009' For this study choosed 70 government primary teachers from chiraegown block, Varanasi. Researcher used self made opinionnaire for data collection and used t-Test, F-Test, Mean and Standard deviation for data analysis. According to result, The Primary school's teachers have negative attitude about Right to Education Act 2009 but Female teacher have positive attitude than male teachers. At the basis of ***caste*** *there is no difference Finally, result is that Right to Education Act has not success at the* ***behavioural*** *stage.*

Key – words : Right to Education Act 2009, Attitude, Teachers, Primary School.

प्रस्तावना

संविधान में निहित प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान की पूर्ति के लिए यद्यपि आरम्भ से ही प्रयास किये जाते रहे हैं, परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी शिक्षा के विकास एवं उपलधि पर नजर डाली जाय, तो यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि तमाम प्रयासों के बाद आज भी हमारे देश में निरक्षरों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया जाना ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी प्रयास है। इसके सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक अनुपम उदाहरण है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सरकार का एक सराहनीय कदम है, फिर भी अधिनियम के अनेक प्रावधान विसंगतियों से परिपूर्ण हैं, जिस पर गहन मंथन किया जाना चाहिए, अन्यथा इस अधिनियम के व्यावहारिक क्रियान्वयन के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की मुहिम को जो बल मिला है, उसे वास्तविक धरातल पर उतारना मुश्किल हो जायेगा। अधिनियम के क्रियान्वयन की तिथि से अगले पाँच वर्ष के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन द्वारा रू0 2500 करोड़ की वित्त आयोग द्वारा व्यवस्था की जायेगी, किन्तु हकीकत में आवश्यकता होगी 1.71 लाख करोड़ की। इतने विपुल संसाधनों की व्यवस्था करना आसान नहीं है। अतः वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता अधिनियम के क्रियान्वयन की मुख्य बाधा बनेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गरीबी तथा बेरोजगारी से ग्रामीणों के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन से बालकों को भी अपने अभिभावकों के साथ पलायन करना होगा। फलतः पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाने वाले बालकों का अनुपात भी बढ़ेगा। अभिभावकों की न्यूनतम आय व कम क्रय शक्ति के कारण बालकों की अल्प आयु में ही रोजगार की तलाश में गाँव से पलायन करने की सम्भावना भी निरंतर बनी रहती है। अतः इस अधिनियम में बालश्रम से सम्बन्धित प्रावधान किये गये होते तो बालकों को काफी राहत मिलती। 1986 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कराये गये, सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में बालश्रमिकों की संख्या 1 करोड़ 73 लाख बताई गई, वहीं 2001 की जनगणना के मुताबिक यह संख्या 1 करोड़ 25 लाख है। राष्ट्रीय श्रम संगठन के ताजा आँकड़ों के अनुसार वर्तमान 6 से 14 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या 22 करोड़ है, जो कुल आबादी का 22% है। एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत में 2 करोड़ 26 लाख बच्चे पूर्णकालिक श्रमिक के रूप में तथा 1 करोड़ 85 लाख बच्चे अंशकालिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं।

इस अधिनियम में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। योग्यताधारी शिक्षकों

© 2013 AAEBHU

की भर्ती एवं निरंतर प्रशिक्षण दिये जाने पर भी जोर दिया गया है। 12 लाख अतिरिक्त प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए भी अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी, तभी हम कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों की फौज खड़ी कर पायेंगे।

अधिनियम में प्रति कक्ष अध्यापक अनुपात 30:1 निर्धारित किया गया है, परन्तु वर्तमान में यह 50:1 है। इससे कम होने की सम्भावना कतई प्रतीत नहीं होती।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति और भी गम्भीर है। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या के अभाव में छात्र अध्यापक अनुपात असंतुलित होने की सम्भावना सदैव बनी रहती है। इस हेतु विशेष प्रयास करने होगें, इसके साथ ही छात्रों में शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। किन्तु आज भी ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों, कक्षा–कक्ष, खेल–कूद सामग्री, शारीरिक प्रशिक्षण, बैठक व्यवस्था आदि की पर्याप्त सुविधाएँ न होना भी अधिनियम के मूल उद्देश्यों 'गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा' के क्रियान्वयन पर रोक लगा देता है। अधिनियम में शिक्षा के विकास के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता की बात की गई है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार में सभी का सहयोग अपेक्षित है। निजी स्कूलों में सरकारी विद्यालयों की तुलना में ऊँचा शुल्क वसूल किया जाता है। वहाँ 25% आरक्षण कमजोर वर्ग को दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन संशय यह है कि क्या ये 25 प्रतिशत स्थान झूठे आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर समृद्ध अभिभावकों की संतानें इस सम्भ्रान्त विद्यालयों में प्रवेश ले सकने में सफल होंगे। फलतः शिक्षा के माध्यम से असमानताएँ फैलेगी। कमजोर वर्ग के लोग अन्य स्रोतों से फीस की व्यवस्था भी कर लेते हैं, तो उनके पुनर्भरण की कोई भी व्यवस्था अधिनियम में नहीं की गई है। 12 अप्रैल, 2012 को चीफ जस्टिस एस0एच0 कपाड़िया की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी पीठ से आये फैसले में कहा गया है कि कानून (25 प्रतिशत आरक्षण का सन्दर्भ) सरकारी तथा गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। सिर्फ गैर सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक स्कूल इसके दायरे से बाहर होंगे। जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कपाडिया की राय से सहमति जताते हुए कहा कि सरकार से अनुदान न लेने वाले अल्पसंख्यक स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों के बाहर रखना उचित है। इसके अलावा सरकार या सरकारी प्राधिकार से चलाये जाने वाले स्कूलों, सहायता प्राप्त निजी व अल्पसंख्यक स्कूलों और गैर सहायता प्राप्त निजी व अल्पसंख्यक स्कूलों में इस कानून के तहत गरीब तबके के बच्चों को संस्थानों में निःशुल्क 25% प्रवेश देना अनिवार्य है। वहीं पीठ में शामिल जस्टिस के0एस0 राधाकृष्णन ने दो न्यायधीश की राय से सहमति जताते हुए कहा कि यह कानून उन गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों व अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें सरकार से कोई सहायता या अनुदान हासिल नहीं होता है।

सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले के सन्दर्भ में सनबीम समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक ने बताया कि निर्णय का अध्ययन करने के बाद ही प्रवेश की नीति बनाई जायेगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। कुछ स्कूलों के संचालक इसे लागू करने से बढ़ने वाले वित्तीय खर्च के बारे में सोच रहे हैं कि उसी अनुपात में साधारण श्रेणी के बालकों का शिक्षण शुल्क बढ़ा देना चाहिए। सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के निदेशक रजनीकांत का कहना है कि इससे जिले के हजारों विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल पायेगी तथा सामाजिक समरसता मिल पायेगी। सुबह–ए–बनारस के मुकेश जायसवाल का मानना है कि इससे स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी।

सेन (2012) ने प्राथमिक शिक्षा की समस्या तथा अपना सुझाव देते हुए कहा है कि बुनियादी शिक्षा के प्रचार तथा प्रभावी विस्तार से इंसान के भीतर के असुरक्षा के भाव को काफी कम किया जा सकता है कुछ भी न पढ़ पाना या फिर संवाद न कर पाना अपने आप में सबसे बड़ी दरिद्रता है।

सेन ने अपनी संस्था 'प्रतिचि' के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में जो अध्ययन किया उसमें यह पाया कि यदि पड़ोस के स्कूलों के सुरक्षित माहौल में सस्ती व प्रभावी शिक्षा दी जा रही है तो माता–पिता में अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कोई हिचक नहीं होता। सेन (2012) के अनुसार अभिभावकों के सपनों की राह में कई बाधाएँ हैं। अक्सर गरीब परिवार अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोकते हैं, और

आज के समय में जब स्कूल की फीस तय करने का काम बाजार के हाथों में चला जा रहा है तो अभिभावकों के सपने और भी मुश्किल हो जायेंगे। कई बार तो इन स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी देखने को मिलती है फिर माता–पिता बच्चों की हिफाजत को लेकर चिन्तित रहते हैं तथा खासकर तब और जब उनका बच्चा लड़की हो।

बेहद गरीब परिवार अक्सर सभी सदस्यों के श्रम योगदान पर निर्भर होते हैं तथा दुर्योग से इनमें बच्चों को गिना जाता है। स्कूली शिक्षा के अधिकार के जरिये इस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। बालश्रम जैसे दुर्भाग्यपूर्ण काम को कानून के साथ–साथ स्कूली शिक्षा को आर्थिक हितों से जोड़ कर ही हतोत्साहित किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के साथ–साथ आपात स्थितियों से निपटने में भी कारगर साबित हो सकती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सन्दर्भ में एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रो0 जे0एस0 राजपूत कहते हैं कि 'कानून के अमल के दो साल होने पर भी देश में कहीं पर इस पर चर्चा नहीं हुई कि इसके आने के बाद पढ़ाई लिखाई की संस्कृति कितनी बदली है न स्कूलों में शिक्षा का वातावरण बदला है न पठन पाठन। समाचार पत्र अमर उजाला (वाराणसी, 19 जुलाई, 2012) में हाईकोर्ट के 18 जुलाई 2012 के टिप्पणी को कोड करते हुए लिखा गया कि प्रदेश में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की कार्यवाही महज कागजी है।

आज जब प्रत्येक बालक को शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम को व्यवहारिक धरातल पर लाने की चर्चा जोरों पर है, ऐसे में यह बात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस अधिनियम के प्रति शिक्षकों का क्या मत है? इसको जाना जाय।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन की समस्या का चुनाव किया गया जिसमें प्रदत्त संकलन हेतु वाराणसी शहर के चिरईगाँव ब्लाक के कुछ प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में रखा गया।

महत्वपूर्ण पदों की संक्रियात्मक परिभाषा

प्राथमिक विद्यालय

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य वाराणसी शहर के चिरईगाँव विकास खण्ड के प्राथमिक विद्यालयों से है।

शिक्षा का अधिकार

प्रस्तुत शोध में शिक्षा का अधिकार से तात्पर्य वाराणसी शहर के चिरईगाँव विकास खण्ड के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के शैक्षिक अधिकार से है।

अभिवृत्ति

प्रस्तुत शोध में अभिवृत्ति से आशय चिरईगाँव विकास खण्ड के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का आरटीई के प्रति मत से है।

अध्ययन का उद्देश्य

(1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

(2) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों की अभिवृत्ति का उनके व्यक्तिगत चरों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना–

(क) लिंग (महिला एवं पुरूष)

(ख) जाति वर्ग (सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति)

परिकल्पनाएँ– शोध हेतु निम्न शून्य परिकल्पनाएँ निर्मित की गईं–

H_{o1} शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति में उनके व्यक्तिगत चरों के आधार पर कोई अन्तर नहीं है–

उपरोक्त शून्य परिकल्पना से सम्बन्धित निम्नलिखित उप शून्य परिकल्पनाएँ निर्मित की गई–

$H_{o1.1}$ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के महिला तथा पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है।

$H_{o1.2}$ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का उनकी जाति वर्ग के आधार पर अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि

इस विधि में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

शोध समग्र

इस शोध में वाराणसी जनपद के चिरईगाँव ब्लाक में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं को शोध समग्र के रूप में लिया गया।

शोध प्रतिदर्श

इस शोध में वाराणसी जनपद के चिरईगाँव ब्लाक में स्थित 27 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के 70 शिक्षकों/शिक्षिकाओं को प्रासंगिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा चयनित किया गया।

तालिका : 1 प्रतिदर्श में चयनित शिक्षकों का लिंग के आधार पर विवरण

क्रम संख्या	चर	संख्या
1.	महिला शिक्षक	35
2.	पुरूष शिक्षक	35

तालिका : 2 प्रतिदर्श में चयनित शिक्षकों का जाति वर्ग के आधार पर विवरण

जाति वर्ग	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	कुल चर
महिला चर	19	11	5	35
पुरूष चर	14	4	17	35
कुल चर	33	15	22	70

उपकरण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति वाराणसी शहर के चिरईगाँव ब्लाक में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अभिवृत्ति मापनी (ओपिनियर) का निर्माण किया गया। इस अभिवृत्ति मापनी में कुल 30 कथन हैं, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विभिन्न आयामों से सम्बन्धित हैं।

तालिका : 3 धनात्मक तथा ऋणात्मक कथनों का विवरण

कथन	पद संख्या
धनात्मक	1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
ऋणात्मक	2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30

सांख्यिकीय प्रविधियाँ

संकलित आँकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, टी–परीक्षण, एफ–परीक्षण का प्रयोग किया गया।

आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण व व्याख्या

तालिका : 4 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति का वर्गीकृत समंकों के रूप में विवरण

प्राप्तांक	आवृत्ति	संचयी आवृत्ति	प्रतिशत संचयी आवृत्ति	
125–129	1	70	100	
120–124	0	69	98.57	
115–119	0	69	98.57	
110–114	2	69	98.57	मध्यमान = 90.71
105–109	4	67	95.71	
100–104	7	63	90.00	
95–99	12	56	80.00	बहुलांक = 87
90–94	8	44	62.85	
85–89	18	36	51.42	
80–84	9	18	25.71	मध्यांक = 91.16
75–79	6	9	12.85	
70–74	1	3	4.28	
65–69	1	2	2.85	
60–64	1	1	1.42	

तालिका 4 से स्पष्ट है कि आरटीई अधिनियम 2009 के प्रति सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति का मध्यमान 90.71 है, जिसके ऊपर लगभग 45.7% शिक्षकों की अभिवृत्ति आती है तथा 54.28% शिक्षकों की अभिवृत्ति इसके नीचे आती है। अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति नकारात्मक है।

तालिका : 5 लैंगिक आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति

क्रम संख्या	तुलनात्मक समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी. का मान	मुक्तांश
1.	महिला शिक्षक	35	93.94	1.02	24.62	68
2.	पुरुष शिक्षक	35	87.48	1.14		

तालिका 5 से स्पष्ट है कि दोनों समूहों की गणना के आधार पर t का मान 24.62 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 सार्थकता स्तर पर t के सारणीयन मान 2.65 से अधिक है। अतः t का मान सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना $Ho_{1.1}$ 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के महिला तथा पुरुष शिक्षकों की आवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है', अस्वीकृत की जाती है। जिसका तात्पर्य है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के महिला तथा पुरुष शिक्षकों का आरटीई 2009 के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

तालिका : 6 जाति वर्ग के आधार पर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति अभिवृत्ति

तुलना समूह	वर्गो का योग	मुक्तांश	मध्य वर्ग	एफ. का मान
समूह के बीच	500.57	2	250.28	0.2918
समूह के अन्दर	25728.2	30	857.60	
योग	26228.77	32		

❖ सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 पर सार्थक नहीं है।

तालिका–6 से स्पष्ट है कि गणना के आधार पर प्राप्त F का मान (0.2918) सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 दोनों के न्यूनतम सारणीयन मान से कम है, अतः यह दोनों ही स्तर पर सार्थक नहीं हैं। इस असार्थक F अनुपात के आधार पर कहा जा सकता है कि विभिन्न समूहों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नही है। अतः शून्य परिकल्पना 1.2 : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का उनके जाति वर्ग के आधार पर अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, स्वीकृत की जाती है। जिसका तात्पर्य है कि जाति वर्ग के आधार पर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष

शोध के निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए–

(1) सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति आरटीई के प्रति नकारात्मक है।

(2) आरटीई के प्रति महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है।

(3) जाति वर्ग के आधार पर आरटीई के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध की उपलब्धियों के कुछ शैक्षिक निहितार्थ निम्नवत् हैं–

(1) इस शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि इस अधिनियम के प्रति सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की राय नकारात्मक है। इनका मानना है कि यह अधिनियम व्यावहारिकता के धरातल पर असफल है।

(2) इस शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति महिला शिक्षक पुरुष शिक्षकों के अपेक्षा सकारात्मक मत रखती हैं।

(3) जाति वर्ग के आधार पर शिक्षकों के मत में कोई अन्तर नहीं है।

सन्दर्भ

1. अग्निहोत्री, आर. (1973). **भारतीय शिक्षा : दशा और दिशा**, केदार नाथ रामनाथ एण्ड कम्पनी, **मेरठ**।

2. अग्रवाल, जे.सी. (1976). **भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ** : नई दिल्ली, आर्य बुक डिपो।

3. सिंह, अरूण कुमार. (2009). **मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ.** दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास।

4. बसु, दुर्गा दास. (2006). **भारत का संविधान–एक परिचय**. , नई दिल्ली : बाधवा एण्ड कम्पनी।

5. यादव, राजेन्द्र. (2011). बाल अधिकार से शिक्षा के अधिकार तक : एक विश्लेषण. **द जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड इण्डियन प्रासपेक्टिव.** वाराणसी : म.गाँ.का.वि.।

6. सिंह, ममता. (27–28 फरवरी 2012). शिक्षा का अधिकार : एक महत्वपूर्ण चुनौती. राष्ट्रीय संगोष्ठी, वी.बी.एस.पी. यू., जौनपुर।

7. मिश्र, अमित कुमार. (2012). बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा : एक संजीवनी. **परमिता** (अंक–4), वाराणसी सामने घाट, नगवा।

8. बेस्ट, जे.डब्ल्यू. एण्ड काहन.(1995). **रिसर्च इन एजुकेशन**. दिल्ली : प्रेन्टिस हाल आफ इण्डिया।

9. द राइट आफ चिल्ड्रेन टू फ्री एण्ड कम्पल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 (अगस्त 27, 2009), **द गैजेट आफ इण्डिया,** न्यू दिल्ली।

10. जया, पालन एन. (2009), **प्राब्लम्स आफ इण्डियन एजुकेशन**. दिल्ली, एटलांटिक पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन।

11. मेहता, ए.सी. (2011). **एलेमेन्ट्री एजुकेशन इन इण्डिया, प्रोग्रेस टोवार्ड्स यूईई : एनालायटिकल रिपोर्ट 2008–09,** एन.यू.ई.पी.ए. एण्ड डिपार्टमेन्ट आफ स्कूल/एजुकेशन एण्ड लिट्रेसी. न्यू दिल्ली, एम.एच.आर.डी., गर्वनमेण्ट आफ इण्डिया, ।

12. कुमावत, योगेन्द्र कुमार. (2010). बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. **प्रतियोगिता दर्पण,** आगरा, स्वदेशी वीमानगर।

13. सरकारी स्कूलों से कतराने लगे गाँव के बच्चे. (10 अप्रैल, 2012). **हिन्दुस्तान**, दैनिक समाचार पत्र, वाराणसीः संस्करण, पृष्ठ–1।

14. सेन, अर्मत्य. (10 अप्रैल 2012). और भी बाधाएँ है शिक्षा की राह में. **हिन्दुस्तान,** दैनिक समाचार पत्र, वाराणसीः संस्करण, पृष्ठ–12।

15. मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला. (14 अप्रैल, 2012). **अमर उजाला,** सम्पादकीय, दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी संस्करण।

16. राजपूत, जे.एस. (16 अप्रैल, 2012). आठवीं तक की फीस तय कर दे सरकार. **दैनिक जागरण,** दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी संस्करण, पृष्ठ–12।

17. गुप्त, संजय. (15 अप्रैल, 2012). अभिशाप मिटाने का मौका. सम्पादकीय, **दैनिक जागरण,** दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी संस्करण, पृष्ठ–21।